अध्याय 2

प्रशासनिक और शैक्षणिक मुद्दे

- **दिल्ली में उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थित एवं सुनिर्धारित नीतियों का अभाव।**
- **विधान सभा में आठ विश्वविद्यालयों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं की प्रस्तुति में बकाया।**
- **दिल्ली में उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा सुविधाओं के वित्तपोषण में सुधार के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने में डीएचई और डीटीटीई की विफलता।**
- **दिल्ली उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति निधि (डीएचईएसएफ) और दिल्ली ज्ञान विकास प्रतिष्ठान (डीकेडीएफ) के प्रबंधन में कमियां, जैसे कि निधियों के प्रेषण में विलंब, मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना शुरू करने में विलंब, छात्रवृत्ति जारी करने में विलंब और इन निधियों में प्राप्त राशियों के उप-इष्टतम उपयोग के कारण ₹ 25.59 करोड़ की परिहार्य कर देयता।**
- **चयनित विश्वविद्यालयों में, जो दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाएं तैयार करने और समय-समय पर उनकी समीक्षा करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, उनमें गैर-कार्यात्मक योजना बोर्ड।**
- **नूतन विकास/उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार चयनित विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों द्वारा पाठ्य विषयों के पाठ्यक्रम में नियमित रूप से परिशोधन न करना। साथ ही, विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा और छात्रों को उपाधि-पत्र जारी करने में भी विलंब।**

तीन विश्वविद्यालयों, अर्थात गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू), दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) और दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (डीपीएसआरयू) को विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु निर्णयात्मक आधार पर चुना गया था। तीनों विश्वविद्यालयों

की स्थापना दिल्ली विधानमंडल के अधिनियमों के माध्यम से हुई थी, अर्थात जीजीएसआईपीयू की स्थापना जुलाई 1998 में, डीटीयू की स्थापना जुलाई 2009 में और डीपीएसआरयू की स्थापना 2008[1] में हुई थी। इन विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और उच्चतर/तकनीकी शिक्षा क्षेत्र की अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा जारी दिशानिर्देशों, विनियमों और परिपत्रों द्वारा नियंत्रित होती हैं।

चयनित विश्वविद्यालयों का संगठनात्मक ढांचा **चार्ट 2.1** में दिया गया है।

चार्ट 2.1: विश्वविद्यालयों का संगठनात्मक ढांचा

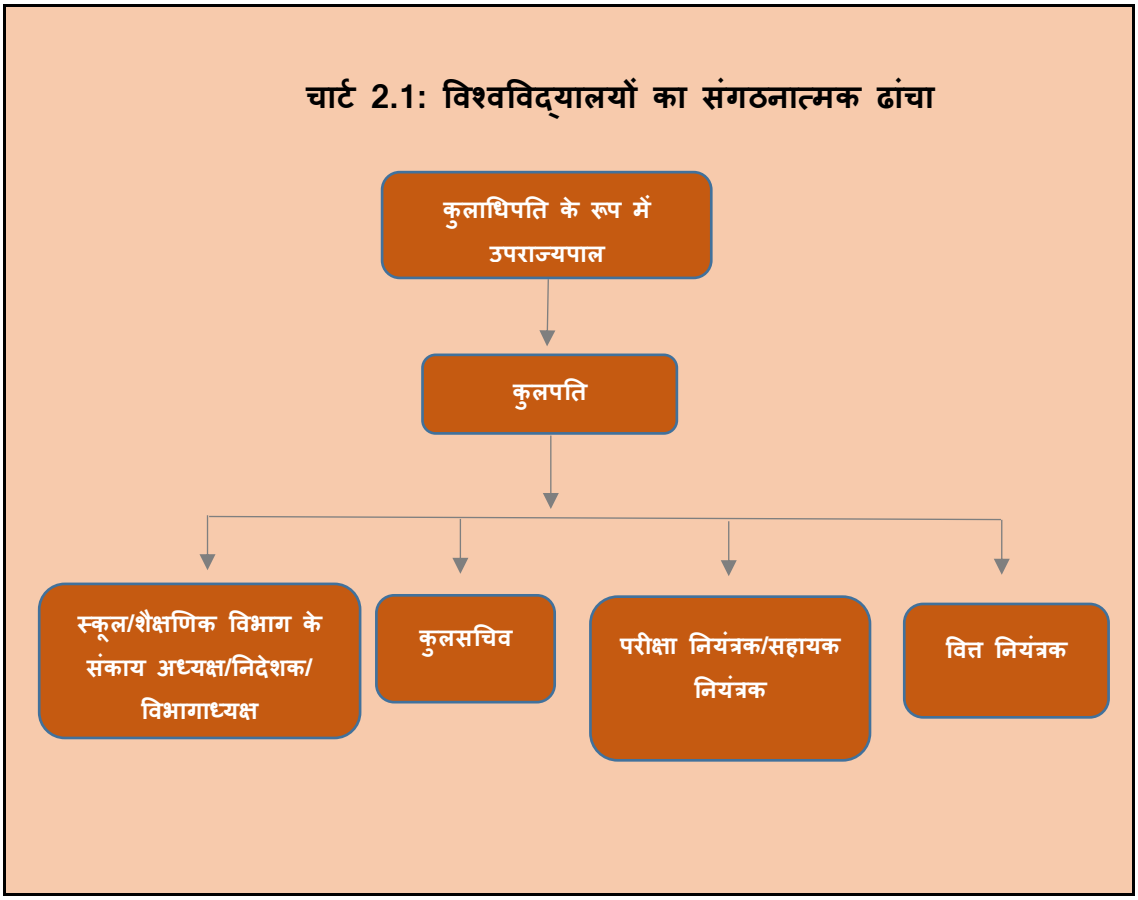

जीजीएसआईपीयू, डीएचई के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इस विश्वविद्यालय में 14 विश्वविद्यालय अध्ययन स्कूल (यूएसएस), दो विश्वविद्यालय केंद्र (यूसी) **(अनुलग्नक 2.1)** हैं, जिनमें 5,600 से अधिक छात्र हैं।

[1] अगस्त 2015 तक यह दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (डीआईपीएसएआर) के रूप में कार्य कर रहा था।

डीटीयू, डीटीटीई के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इस विश्वविद्यालय में शिक्षण और अनुसंधान के लिए 14 शैक्षणिक विभाग और दो विश्वविद्यालय स्कूल **(अनुलग्नक 2.2)** हैं, जिनमें लगभग 15,000 छात्र हैं।

डीटीटीई के अधीन कार्यरत डीपीएसआरयू में एक संघटक कॉलेज अर्थात दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (डीआईपीएसएआर), तीन आंतरिक स्कूल[2] और खेल विज्ञान एवं अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (एएसएसआरएम) शामिल हैं। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए, इस विश्वविद्यालय में 2,800 छात्र/वृत्ति-छात्र थे।

2.1 डीएचई और डीटीटीई द्वारा प्रशासनिक योजना और निरीक्षण

उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने और उच्चतर शिक्षा के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने, दिल्ली के विभिन्न स्थानों में नए कॉलेज खोलने, कॉलेजों को सहायता अनुदान जारी करने आदि के लिए 1997 में डीएचई की स्थापना की गई थी। जैसा कि डीएचई की वेबसाइट पर बताया गया है, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली का कोई भी छात्र दिल्ली में अपने पसंदीदा पाठ्यक्रम में सीटें उपलब्ध न होने के कारण दूसरे राज्यों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर छोड़कर न जाए। इसी प्रकार, डीटीटीई की स्थापना विश्व स्तरीय तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, उद्योग-संबंधित अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने, छात्रों और शिक्षकों के नवप्रवर्तनकारी कौशल और रचनात्मक क्षमताओं को विकसित करने आदि के लिए की गई थी। डीटीटीई का उद्देश्य सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को प्रमुख बहु-विषयक शिक्षण संस्थान बनाकर उच्चतर, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में वैश्विक अग्रणी बनना है।

वर्ष 2018-23 के दौरान आबंटित बजट की तुलना में डीएचई और डीटीटीई के व्यय का वर्ष-वार विवरण क्रमशः **चार्ट 2.2** और **चार्ट 2.3** में दिया गया है।

[2] औषधि विज्ञान स्कूल (एसपीएस), फिज़ियोथेरेपी स्कूल (एसपीएच) और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रबंधन स्कूल (एसएएचएसएम)

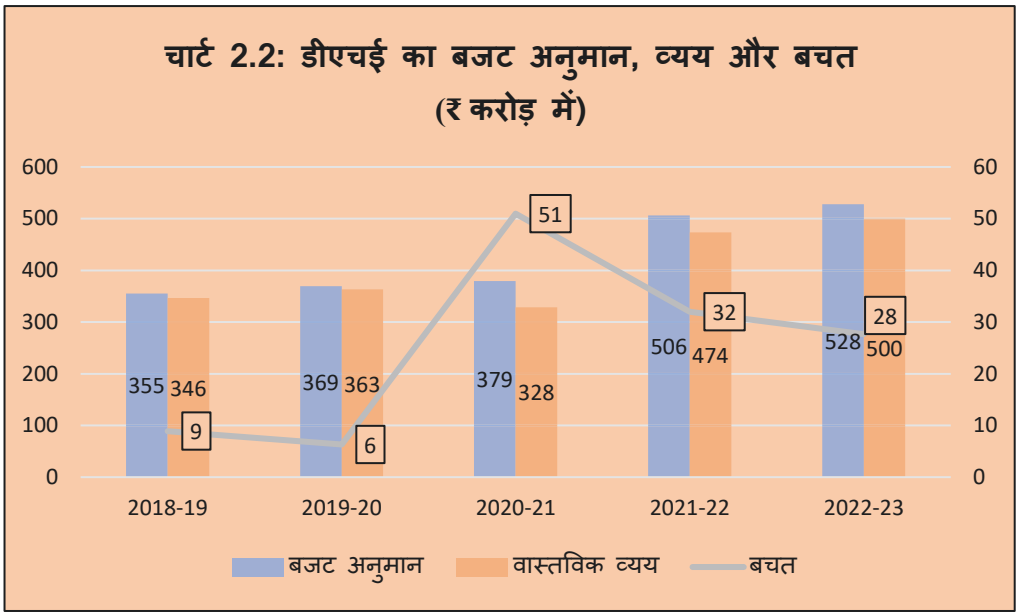

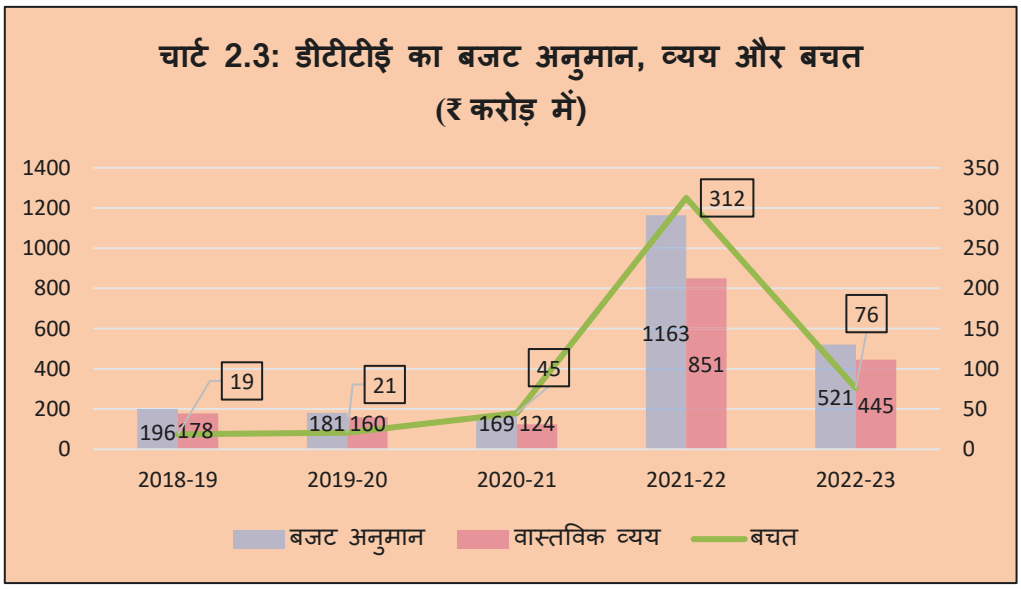

स्रोत: डीएचई और डीटीटीई के वार्षिक समाधान विवरण

डीएचई के व्यय का एक बड़ा हिस्सा विश्वविद्यालयों (26 *प्रतिशत*) और दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध डिग्री कॉलेजों (71 *प्रतिशत*) को सहायता अनुदान पर था। डीटीटीई के मामले में, विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान व्यय का 67 *प्रतिशत* और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक और विश्व स्तरीय कौशल केंद्रों पर व्यय 28 *प्रतिशत* था। 2021-22 में डीटीटीई के व्यय में कई गुना वृद्धि दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय की स्थापना और विश्व स्तरीय कौशल केंद्रों के निर्माण पर व्यय में वृद्धि के साथ हुई।

2.1.1 योजना और विधायी अनुवर्ती कार्रवाई

रा.रा.क्षे.दि.स. में उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा की योजना और प्रशासन के संबंध में लेखापरीक्षा में देखे गए मुद्दों का विवरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है:

(i) सरकारी स्तर पर व्यापक नीतियों का अभाव

डीएचई और डीटीटीई दोनों के पास नागरिक चार्टर और विज़न/मिशन विवरण थे। इन दस्तावेज़ों के अनुसार, डीएचई को उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना और उच्चतर शिक्षा के लिए व्यापक नीति तैयार करनी थी जब कि डीटीटीई को औद्योगिक उत्पादन, सेवाओं, उत्पादकता और नवाचार के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति प्रदान करनी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि न तो डीएचई और न ही डीटीटीई ने अपने विज़न/मिशन को पूरा करने के लिए व्यापक नीतियां बनाई थीं। इस प्रकार, दिल्ली में उच्चतर और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थित और सुनिर्धारित नीतियों का अभाव था।

10 मार्च 2025 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में, सचिव (एचईडी/टीटीईडी) ने दिल्ली में उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थित और सुनिर्धारित नीतियों के अभाव को स्वीकार किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक सुदृढ़ नीति बनाने का प्रयास किया जाएगा।

(ii) विधान सभा के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदनों और वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रस्तुति में बकाया

जिन अधिनियमों के अंतर्गत विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, उनके प्रावधानों के अनुसार, 10 विश्वविद्यालयों (राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे, जो कुलाधिपति को प्रस्तुत किए जाते थे, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा दिल्ली विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सरकार को प्रस्तुत किए जाने थे।

आठ[3] कार्यात्मक विश्वविद्यालयों के संबंध में डीएचई/डीटीटीई द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली की विधान सभा के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की विश्वविद्यालय-वार स्थिति **तालिका 2.1** में दी गई है।

तालिका 2.1: वार्षिक प्रतिवेदनों और वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करने की विश्वविद्यालय-वार स्थिति

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	किस वर्ष तक का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा गया	किस वर्ष तक के वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे गए हैं
1.	गुरु गोबिंद सिंह विश्वविद्यालय	2021-22	2020-21
2.	अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली	2019-20	2020-21
3.	दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	2021-22	2018-19
4.	इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय	2021-22	2017-18
5.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	2017-18	2017-18
6.	इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान	2022-23	2020-21
7.	दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय	2015-16 से 2021-22 तक के वार्षिक प्रतिवेदन डीटीटीई को प्रस्तुत किए गए, परंतु अभी तक सभा पटल पर नहीं रखे गए।	अभी तक सभा पटल पर नहीं रखे गए।
8.	दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय	अभी तक सभा पटल पर नहीं रखे गए।	अभी तक सभा पटल पर नहीं रखे गए।

स्रोत: डीएचई और डीटीटीई द्वारा प्रदान की गई जानकारी

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, सभी आठ विश्वविद्यालयों के वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे दोनों ही रा.रा.क्षे. दिल्ली की विधान सभा में रखे जाने के लिए दो से पांच वर्षों तक लंबित थे।

इस प्रकार, दिल्ली में उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए नीति तैयार न करने के अतिरिक्त, सरकार ने विश्वविद्यालयों की गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में विधानमंडल को वार्षिक लेखे/प्रतिवेदन प्रस्तुत करके अवगत भी नहीं कराया।

[3] दो विश्वविद्यालय (दिल्ली खेल विश्वविद्यालय और दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय) द्वारा अभी तक कार्य नहीं किया गया था और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के मामले में, अधिनियम के तहत विधानमंडल के समक्ष वार्षिक लेखा/प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

सिफारिश 1: सरकार को दिल्ली में उच्चतर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर व्यापक नीतियां बनानी चाहिए, जो सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप हों।

2.1.2 उच्चतर शिक्षा के लिए वित्तपोषण

उच्चतर शिक्षा के कार्यक्षेत्र और गुणवत्ता में सुधार के लिए डीएचई/डीटीटीई द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, विभिन्न चिह्नित गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों की मात्रा और संबंधित संस्थाओं द्वारा इन संसाधनों के प्रबंधन की गुणवत्ता से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान उच्चतर शिक्षा के लिए निधियों की उपलब्धता और उपयोग के संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातें देखीं -

(i) छात्रों की ओर से वित्तीय सहायता की मांग में गिरावट

2015-16 में, डीएचई ने "दिल्ली उच्चतर शिक्षा एवं कौशल विकास गारंटी योजना" नामक एक योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य दिल्ली के छात्रों द्वारा दिल्ली में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लिए गए ऋणों पर बैंकों को गारंटी प्रदान करना है। इस संबंध में, अगस्त 2015 में एक न्यास (दिल्ली उच्चतर शिक्षा एवं कौशल विकास ऋण गारंटी निधि न्यास) की स्थापना की गई और 2015-18 के दौरान इस न्यास को ₹ 15 करोड़ जारी किए गए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-23 के दौरान आवेदकों और लाभार्थियों की संख्या में लगातार कमी आई, जैसा कि **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: योजना के अंतर्गत वर्ष-वार आवेदक और लाभार्थी

वर्ष	आवेदकों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	कुल आवेदकों में लाभार्थियों की प्रतिशतता
2017-18	177	50	28.25
2018-19	139	44	31.65
2019-20	146	23	15.75
2020-21	106	17	16.04
2021-22	89	9	10.11
2022-23	56	2	3.57

इन वर्षों के दौरान सफल आवेदकों का प्रतिशत भी कम हुआ। बैंकों द्वारा आवेदनों को अस्वीकार करने के लिए बताए गए कारण ये थे: (i) आवेदकों ने पहले ही किसी अन्य योजना के अंतर्गत ऋण ले लिया था, (ii) आवेदकों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, और (iii) अधूरे दस्तावेज़ या कम ऋण राशि

के लिए पात्रता। योजना के अंतर्गत सहायता की मांग में इतनी गिरावट और लाभार्थियों की संख्या, जो 2021-22 और 2022-23 में क्रमशः नौ और दो थी, के बावजूद, अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि डीएचई ने गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए योजना की समीक्षा की ताकि छात्रों के बीच इसकी पहुँच बढ़ाई जा सके।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि वह इस योजना की समीक्षा करेगा और इसके कार्यान्वयन के लिए प्रयास करेगा।

(ii) भारत सरकार (भा.स.) से निधि प्राप्त करने/उपयोग में विफलता

क) भारत सरकार ने **राष्ट्रीय उच्चतरतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)** नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की (अक्टूबर 2013), जिसका उद्देश्य नए शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण, मौजूदा संस्थानों का विस्तार और उन्नयन, आत्मनिर्भर संस्थानों का विकास आदि के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में पहुंच, समानता और गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना को केंद्र और राज्य के समान योगदान से क्रियान्वित किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीएचई को इसके लिए ₹ 303 लाख (सितंबर 2015 में भारत सरकार से ₹ 151.50 लाख और अप्रैल 2016 में रा.रा.क्षे.दि.स. से ₹ 151.50 लाख) की निधियां प्राप्त हुई। तथापि, योजना को लागू नहीं किया गया क्योंकि भारत सरकार और रा.रा.क्षे.दि.स. के बीच अपेक्षित समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। इस प्रकार, मार्च 2024 तक डीएचई के पास निधियां अप्रयुक्त पड़ी रहीं। इसके अतिरिक्त, रा.रा.क्षे.दि.स. भारत सरकार से शेष ₹ 208.50 लाख की निधि प्राप्त नहीं कर सकी। भारत सरकार ने अप्रैल 2018 में विभिन्न घटकों के अतंर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र और दिल्ली के बीच 60:40 के वित्तपोषण अनुपात के साथ आरयूएसए 2.0 भी शुरू किया, जिसे भी लागू नहीं किया जा सका।

दिल्ली में योजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में सरकार की विफलता के कारण दिल्ली के उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अपनी सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन के लिए केंद्रीय निधि प्राप्त करने से वंचित होना पड़ा।

निर्गम सम्मेलन में, निदेशक (डीएचई/डीटीटीई) ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा द्वारा विसंगतियों को चिह्नित करने के बाद, विभाग ने राष्ट्रीय उच्चतरतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के अंतर्गत निधियों की बेहतर प्राप्ति और उपयोग के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु फाइल शुरू कर दी है।

ख) भारत सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं को ***सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में शामिल अतिरिक्त व्यय/बकाया भुगतान के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति*** प्रदान करने का प्रस्ताव दिया (नवंबर 2017)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीएचई और डीटीटीई सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के बकाया के कारण अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को देय/भुगतान की गई राशि का पता लगाने में विफल रहे और न ही उन्होंने प्रतिपूर्ति के लिए भारत सरकार को कोई दावा प्रस्तुत किया। परिणामस्वरूप, जनवरी 2016 से मार्च 2019 के वेतन के बकाया भुगतान पर व्यय जीजीएसआईपीयू के मामले में विश्वविद्यालय द्वारा और अन्य विश्वविद्यालयों के संबंध में सरकार द्वारा वहन किया गया।

इस प्रकार, सरकार ने दिल्ली में उच्चतर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ करने और सुधारने के लिए विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत दिल्ली को प्राप्य धनराशि का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की।

(iii) दिल्ली उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति कोष और दिल्ली ज्ञान विकास प्रतिष्ठान का प्रबंधन

2007 के अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, डीएचई ने समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए अप्रैल 2008 में दिल्ली उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति कोष (डीएचईएसएफ) बनाया और इस कोष के प्रबंधन के लिए दिल्ली उच्चतर शिक्षा सहायता न्यास (डीएचईएटी) की स्थापना की (अक्टूबर 2008)। जैसा कि डीएचई द्वारा जून 2007 में जारी योजना के अतिरिक्त नीतिगत दिशानिर्देशों में कहा

गया है, छात्रवृत्ति का वित्तपोषण स्थायी परिसर वाले स्व-वित्तपोषित संबद्ध कॉलेजों के शाम की पाली में नामांकित छात्रों से एकत्रित शुल्क के 25 *प्रतिशत* से करने का प्रस्ताव था। जीजीएसआईपीयू को यह राशि कॉलेजों से एकत्र करनी थी और डीएचईएटी को भेजनी थी।

इसके अतिरिक्त, मार्च 2008 में, डीटीटीई ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में दिल्ली ज्ञान विकास प्रतिष्ठान (डीकेडीएफ) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ज्ञान के प्रति समर्पित एक विचारक-मंडल (थिंक टैंक) के रूप में कार्य करना, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा के संचालन हेतु नए दृष्टिकोणों को अपनाना और उनका प्रसार करना तथा उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना भी था। तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों से जीजीएसआईपीयू द्वारा एकत्रित निधि इस सोसाइटी को भेजी जानी थी (अप्रैल 2009 से)।

2022-23 तक, जीजीएसआईपीयू ने स्व-वित्तपोषित संस्थानों से डीएचईएटी को ₹ 134.33 करोड़[4] और डीकेडीएफ को ₹ 117.02 करोड़ एकत्रित और हस्तांतरित किए। 2018-23 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 23,753 ईडब्ल्यूएस के छात्रों को सहायता प्रदान की गई।

दिल्ली उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति कोष और दिल्ली ज्ञान विकास प्रतिष्ठान के प्रबंधन में पाई गई कमियां इस प्रकार हैं:

क) निधियों के प्रेषण में विलंब: लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीजीएसआईपीयू द्वारा एकत्रित निधियों के हस्तांतरण में विलंब हुआ। डीएचईएटी और डीकेडीएफ को शैक्षणिक सत्र 2017-22 के लिए निधि शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से 12 से 20 महीने के विलंब से प्राप्त हुई। यह भी पाया गया कि अक्टूबर 2023 तक, 26 स्व-वित्तपोषित संबद्ध कॉलेजों द्वारा जीजीएसआईपीयू को डीएचईएटी और डीकेडीएफ को आगे हस्तांतरित करने के लिए ₹ 13.01 करोड़ का भुगतान किया जाना बाकी

[4] ₹ 134.33 करोड़ = (2007-17 की अवधि के लिए जीजीएसआईपीयू द्वारा प्रेषित ₹ 59.36 करोड़ (डीएचईएटी ने शून्य उपयोग के साथ इन निधियों को संचित करना जारी रखा) *प्लस* वर्ष 2017-22 के लिए जीजीएसआईपीयू द्वारा प्रेषित ₹ 74.97 करोड़)।

था। इन विलंबों का अनिवार्य गतिविधियों के लिए निधियों के समय पर जारी होने पर व्यापक प्रभाव पड़ा।

ख) **मेधावी ईडब्ल्यूएस छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना शुरू करने में विलंब:** यद्यपि ईडब्ल्यूएस छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु डीएचई के दिशानिर्देशों के अनुसार धन संग्रहण 2007-08 में शुरू हो गया था, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना केवल शैक्षणिक सत्र 2017-18 से शुरू की गई, अर्थात 10 वर्ष बाद जब डीएचईएटी/डीएचई ने मेरिट-कम-मीन्स (एमसीएम) वित्तीय सहायता योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के मेधावी स्नातक पूर्व छात्रों के शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस प्रकार, निधियां उपलब्ध होने के बावजूद, यह योजना न्यास की स्थापना के 10 वर्ष बाद ही तैयार की गई।

ग) **घोषित उद्देश्यों का अनुपालन न करने के कारण परिहार्य कर देयता:** आयकर अधिनियम की धारा 12ए के अंतर्गत आयकर छूट के लिए डीएचईएटी और डीकेडीएफ पंजीकृत हैं। यह छूट इस शर्त पर है कि वे प्रति वर्ष अपनी प्राप्तियों का 85 *प्रतिशत* सोसायटी के घोषित उद्देश्यों पर खर्च करें। चूँकि सोसायटी के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कोई योजना नहीं बनाई गई थी, इसलिए डीएचईएटी द्वारा 2016-17 तक और डीकेडीएफ द्वारा 2019-20 तक कोई व्यय नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, डीएचईएटी को 2018-22 के दौरान ₹ 1.36 करोड़ की स्रोत पर कर कटौती के अतिरिक्त दिसंबर 2023 तक ₹ 12.73 करोड़ की आयकर देयता बनी। इसी प्रकार, डीकेडीएफ ने 2018-23 के लिए ₹ 10.04 करोड़ के आयकर का भुगतान किया और 2019-20 के लिए ₹ 1.46 करोड़ की आयकर देयता बनाई। इस प्रकार, डीएचईएटी और डीकेडीएफ ने ₹ 25.59 करोड़ की परिहार्य कर देयता बनाई।

घ) **छात्रवृत्ति जारी करने में विलंब:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-22 के दौरान डीएचई/डीएचईएटी द्वारा एमसीएम योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के भुगतान में विलंब हुआ और वर्ष 2022-23 के लिए भुगतान अभी तक शुरू नहीं किया गया। यह विलंब चार से 10 महीने

तक का था, जिससे ज़रूरतमंद मेधावी छात्र समय पर आर्थिक सहायता से वंचित रह गए और योजना का उद्देश्य ही विफल हो गया।

(ङ.) निधियों का अपयोजन: उप मुख्यमंत्री के निर्देश (मई 2021) पर, जीजीएसआईपीयू ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए 5,000 स्वास्थ्य सहायकों को तैयार करने के लिए दो सप्ताह का नया प्रमाणपत्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया (जून 2021) और डीएचईएटी को प्रेषण के लिए जीजीएसआईपीयू के पास पड़े ₹ 5 करोड़ के उपयोग का प्रस्ताव रखा। इसे तत्कालीन उप मुख्यमंत्री द्वारा मंज़ूरी दी गई थी। अक्टूबर 2023 तक, जीजीएसआईपीयू ने प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए ₹ 2.44 करोड़ का भुगतान किया था, जिससे जीजीएसआईपीयू के पास ₹ 2.56 करोड़ का अव्ययित शेष रह गया। उपर्युक्त पाठ्यक्रम के संचालन के लिए समाज के कमज़ोर वर्गों के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए निर्धारित निधियों का उपयोग अनियमित था। अपने उत्तर में, विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने ₹ 2.44 करोड़ का उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया और मार्च 2024 में ₹ 2.56 करोड़ अव्ययित शेष वापस कर दिया। तथापि, यद्यपि कोविड महामारी के दौरान सरकारी निर्देशों के अनुसार निधियां खर्च की गई थीं, परंतु उनका उपयोग योजना के अंतर्गत न आने वाली गतिविधियों के लिए किया गया था।

(च) खराब वित्तीय प्रबंधन: डीकेडीएफ ने उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण से संबंधित आठ परियोजनाओं के निष्पादन के लिए 2020-22 के दौरान छह विश्वविद्यालयों को ₹ 43.76 करोड़ का अनुदान जारी किया। तथापि, यह पाया गया कि विश्वविद्यालयों ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न तो परियोजनाओं की प्रगति और न ही उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। उन्हें सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 230 (8) के उल्लंघन में, प्राप्त अनुदान राशि पर अर्जित ₹ 2.03 करोड़ का ब्याज रखने की अनुमति दी गई थी। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद, तीन विश्वविद्यालयों अर्थात दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी महिला तकनीकी विश्वविद्यालय और इंद्रप्रस्थ प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने ₹ 1.85 करोड़ की ब्याज राशि जमा की।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीकेडीएफ ने जारी की गई धनराशि पर अर्जित ब्याज सहित, तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। तथापि, डीकेडीएफ द्वारा शेष तीन विश्वविद्यालयों से धनराशि के उपयोग की अद्यतन स्थिति सहित जारी की गई धनराशि पर ब्याज की वसूली अभी तक सुनिश्चित नहीं की गई थी।

2.2 विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक मुद्दे

2.2.1 शैक्षणिक और अवसंरचना के विकास की योजना में कमियां

सरकारी स्तर के अतिरिक्त, चयनित विश्वविद्यालयों द्वारा भी उच्चतर शिक्षा की योजना बनाने में कमी पाई गई। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु अपने वित्तीय और मानव संसाधनों का प्रबंधन करने हेतु प्रभावी योजना बनाना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के खंड 12.3 में पाठ्यक्रम सुधार से लेकर कक्षा संचालन की गुणवत्ता तक की शैक्षणिक योजनाओं को व्यापक संस्थागत विकास योजना के साथ एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है। लेखापरीक्षा में तीनों विश्वविद्यालयों की ओर से शैक्षणिक और अवसंरचना के विकास के लिए योजना का पूर्ण अभाव पाया गया, जिसकी चर्चा नीचे की गई है।

क) जीजीएसआईपीयू में, विश्वविद्यालय का **योजना बोर्ड** प्रधान योजना निकाय है जो उपयुक्त योजनाओं को डिज़ाइन और तैयार करने, शैक्षणिक प्रगति, अवसंरचना विकास आदि की निगरानी के लिए ज़िम्मेदार है। तथापि, योजना बोर्ड लगभग निष्क्रिय था क्योंकि प्रत्येक वर्ष में निर्धारित दो बैठकों के प्रति बोर्ड की अंतिम तीन बैठकें अक्टूबर 2012, जून 2022 और नवंबर 2022 में आयोजित हुई थीं। इसके अतिरिक्त, एक विज़न दस्तावेज़ - विज़न 2030, जिसे 2019 में तैयार किया गया और जुलाई 2020 में अनुमोदित किया गया, समयबद्ध तरीके से लागू किए जाने वाले विश्वविद्यालय के उद्देश्यों और प्राथमिकताओं की पहचान किए बिना कई व्यक्तिगत प्रस्तावों का एक संग्रह मात्र प्रतीत हुआ। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार विश्वविद्यालय के लिए अल्पकालिक (तीन वर्ष) और दीर्घकालिक (पांच वर्ष) कार्यनीतिक योजनाएं तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था

(जुलाई 2022), उक्त समिति द्वारा की गई प्रगति अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी। 2022 में तैयार किया गया एक अन्य विज़न दस्तावेज़, विज़न-2047, योजना बोर्ड और प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदन की प्रतीक्षा में था। जीजीएसआईपीयू ने कहा (जनवरी 2024) कि एनईपी 2020 के अनुसार कार्यनीतिक योजना (तृतीय योजना दस्तावेज़) तैयार करने हेतु गठित समिति ने उक्त दस्तावेज़ को अंतिम रूप दे दिया है और इसे शीघ्र ही अनुमोदन के लिए योजना बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

ख) डीटीयू (2009 में स्थापित) में, योजना बोर्ड का गठन केवल मार्च 2018 में हुआ था, जिसकी पहली बैठक (अप्रैल 2019) आयोजित करने में एक वर्ष और लग गया। इसके बाद भी, नवंबर 2023 तक केवल तीन और बैठकें हुईं। यद्यपि डीटीयू ने 2019 में कार्यनीतिक योजना 2019-30 नामक अपना पहला विज़न दस्तावेज़ तैयार किया था, इसमें 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले केवल दीर्घकालिक लक्ष्य ही शामिल थे और कार्यनीतिक योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लक्षित कोई मध्यम अवधि या वार्षिक योजनाएं नहीं थीं। डीटीयू ने कहा (मार्च 2024) कि उसने 2019 तक एकत्रित आंकड़ों के आधार पर 2019 में अपना पहला विज़न दस्तावेज़ तैयार कर लिया था और विज़न 2047 का एक संक्षिप्त संस्करण योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था (अक्टूबर 2022)। 2047 के लिए विस्तृत विज़न दस्तावेज़ तैयार किया जा रहा है।

ग) अगस्त 2015[5] से कार्यरत **डीपीएसआरयू** ने विज़न दस्तावेज़ 2030 प्रस्तुत किया, परंतु यह स्पष्ट नहीं था कि इसे कब तैयार किया गया था और क्या उक्त दस्तावेज़ को उपयुक्त निकाय/प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसने किसी भी वार्षिक योजना से संबंधित अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराए, जिसके अभाव में विश्वविद्यालय द्वारा की गई प्रगति को विज़न दस्तावेज़ 2030 के अल्पकालिक लक्ष्यों (पांच वर्षों के लिए) के अंतर्गत उल्लिखित मदों से सहसंबंधित नहीं किया जा सकता था।

यह भी पाया गया कि डीपीएसआरयू ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) को सूचित किया था (जनवरी 2023) कि उसने विज़न दस्तावेज़ 2030 में निर्धारित लक्ष्यों को 2022 तक प्राप्त कर लिया था। तथापि,

[5] इससे पहले यह दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (डीआईपीएसएआर) के रूप में कार्य कर रहा था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उसने 2020 के लिए निर्धारित लक्ष्य, अर्थात् स्कूल ऑफ फार्मास्युटिकल मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ हॉस्पिटल एंड फार्माकोविजिलेंस; और स्कूल ऑफ इंटरएक्टिव मेडिसिन को 2023 तक कार्यात्मक बनाने के, भी प्राप्त नहीं किए हैं।

संस्थागत लक्ष्यों की दिशा में प्रगति हेतु एक विशिष्ट, कार्य-उन्मुख मध्यम या दीर्घकालिक योजना का अस्तित्व भी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) के गुणवत्ता संकेतक ढांचे में एक प्रमुख संकेतक था। इसलिए, ऐसी उपयुक्त योजनाओं के अभाव का प्रत्यायन के दौरान विश्वविद्यालयों के श्रेणीकरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था।

इन तीन विश्वविद्यालयों (जीजीएसआईपीयू, डीटीयू, डीपीएसआरयू) ने अपने-अपने विज़न दस्तावेज़ों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी भावी गतिविधियों के लिए कोई दीर्घकालिक/वार्षिक योजना या व्यवहार्य रूपरेखा तैयार नहीं की थी।

निर्गम सम्मेलन में, सचिव (एचईडी/टीटीईडी) ने तीनों विश्वविद्यालयों के विजन दस्तावेज़ में उल्लिखित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार्य रूपरेखा और आवधिक समीक्षा तंत्र के अभाव के तथ्य को स्वीकार किया और विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक आवधिक समीक्षा तंत्र स्थापित करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विज़न के उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सके।

सिफारिश 2: विश्वविद्यालयों को अपने विज़न दस्तावेज़ों में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक और वार्षिक योजनाएं तैयार करनी चाहिए और प्राप्ति के स्तर का आकलन करने के लिए समय-समय पर उनकी समीक्षा करनी चाहिए।

2.2.2 छात्रों का प्रवेश

जीजीएसआईपीयू/इसके संबद्ध कॉलेजों और डीटीयू में अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं जैसे संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी), संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेन्स/राष्ट्रीय वास्तुकला योग्यता परीक्षा (एनएटीए)/राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी)/सामान्य प्रवेश परीक्षा

(सीएटी)/सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा (सीएलएटी) आदि के आधार पर या जीजीएसआईपीयू द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षाओं (सीईटी) के माध्यम से या संबंधित कार्यक्रमों में प्राप्त उपाधियों की योग्यता के आधार पर दिया जाता है। डीपीएसआरयू में प्रवेश बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं में निष्पादन के आधार पर दिया जाता है।

विश्वविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.2.2.1 स्वीकृत प्रवेश के प्रति प्रवेश में कमी

लेखापरीक्षा में विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित तीनों विश्वविद्यालयों में छात्रों की प्रवेश क्षमता का कम उपयोग पाया गया।

(i) **जीजीएसआईपीयू** में, समीक्षाधीन वर्षों के दौरान उपलब्ध सीटों का कम उपयोग 14 से 32 *प्रतिशत* तक रहा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विशेष रूप से 10 कार्यक्रमों में रिक्त सीटें महत्वपूर्ण थीं **(अनुलग्नक 2.3)** और 100 *प्रतिशत* तक थीं। जीजीएसआईपीयू से संबद्ध संस्थानों में जीजीएसआईपीयू के अंतर्गत आने वाले कुल छात्रों का लगभग 93 *प्रतिशत* हिस्सा है और इन संस्थानों में 2018-23 के दौरान रिक्त सीटों की प्रतिशतता 16 से 36 *प्रतिशत* के बीच रही। यह भी पाया गया कि दो संस्थानों ने विश्वविद्यालय से अपनी संबद्धता त्याग दी (जनवरी 2023) और दूसरे विश्वविद्यालय से संबद्धता का विकल्प चुना, क्योंकि उनके द्वारा संचालित बी.टेक और बी.आर्क कार्यक्रमों में छात्रों की संख्या प्रति वर्ष कम होती जा रही थी। कार्यक्रमों के प्रति छात्रों की खराब प्रतिक्रिया के कारण दो संस्थानों ने एक ने 2020-21 से और दूसरे ने 2023-24 से संबद्धता जारी रखने के लिए आवेदन नहीं किया।

जीजीएसआईपीयू ने कहा (जनवरी 2024) कि अन्य प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालयों की मौजूदगी के कारण उम्मीदवारों के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध होने से, विश्वविद्यालय शैक्षणिक वर्ष 2018-23 के दौरान सभी सीटें भरने में असमर्थ था। आगे कहा गया कि विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि सभी सीटें भरी जाएं।

रिक्त सीटों के लिए प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यापक विकल्प को ज़िम्मेदार ठहराना इस तथ्य को संबोधित नहीं करता है कि अभ्यर्थी पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद रोज़गार/नौकरी के अवसरों के आधार पर पाठ्यक्रम चुनते हैं और यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में ऐसी पाठ्यचर्या है जो बेहतर उद्योग-उन्मुख शिक्षा प्रदान करती है, तो अभ्यर्थियों की कोई कमी नहीं होगी।

(ii) **डीटीयू** में, 2018-23 के दौरान स्नातक-पूर्व (यूजी) कार्यक्रमों में रिक्त सीटें आठ से 10 *प्रतिशत* तक थीं और स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रमों में 17 से 32 *प्रतिशत* तक थी।

अपने उत्तर में, डीटीयू ने कहा कि 2018-23 के दौरान पीजी कार्यक्रमों में प्रवेश में गिरावट कोविड महामारी और इस तथ्य के कारण थी कि डीटीयू में पीजी कार्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से किए जाते हैं। डीटीयू ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से गैर-जीएटीई उम्मीदवारों को एम.टेक में प्रवेश दिए हैं, और इसके परिणामस्वरूप प्रवेश में सुधार होना चाहिए।

(iii) **डीपीएसआरयू** में, 2018-23 के दौरान रिक्त सीटों की कुल प्रतिशतता 11 से 24 *प्रतिशत* के बीच रही, जब कि विश्वविद्यालय के नौ कार्यक्रमों[6] में रिक्तियों की प्रतिशतता 42 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* के बीच रही। यह भी पाया गया कि डीपीएसआरयू में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश एनटीए या विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं आयोजित प्रवेश परीक्षाओं पर आधारित नहीं थे।

अपने उत्तर में, डीपीएसआरयू ने कहा कि कुछ आरक्षित (एससी/एसटी) सीटें खाली रह गईं और नीति के अनुसार सामान्य सीटों से नहीं भरी जा सकीं, और कुछ छात्रों ने अपना प्रवेश वापस ले लिया क्योंकि वे केवल बी.फार्मा कार्यक्रमों में प्रवेश चाहते थे। आगे कहा गया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रवेश मानदंड को प्रवेश परीक्षा-आधारित कर दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय/संस्थान और उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की लोकप्रियता या कमियों को दर्शाने के अतिरिक्त, रिक्त सीटों का विश्वविद्यालयों और संबद्ध

[6] 1. बीएससी स्पोर्ट्स साइंस, 2. एमएससी स्पोर्ट्स साइंस, 3. एमएससी (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फार्मास्युटिकल मैनेजमेंट), 4. मास्टर इन फिजियोथेरेपी, 5. एम फार्मा इन ड्रग रेगुलेटरी साइंस, 6. बीबीए (चाइल्ड एंड हेल्थकेयर), 7. बी फार्मा आयुर्वेद, 8. मेडिसिन मैनेजमेंट और 9. ब्यूटी वेलनेस एंड कंसल्टेंट्स।

कॉलेजों के राजस्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तथापि, लेखापरीक्षा ने विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा छात्रों की ओर से कम प्रतिक्रिया के कारणों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं देखा।

निर्गम सम्मेलन में, कुलपति (जीजीएसआईपीयू) ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के छात्रों के लिए 85 *प्रतिशत* सीटें आरक्षित होने के कारण विश्वविद्यालयों की सीमाबद्धता पर प्रकाश डाला, जिससे सीटों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। तीनों विश्वविद्यालयों के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि रिक्त सीटों को भरने के लिए वे प्रयास करेंगे।

2.2.2.2 छात्र प्रवेश से संबंधित उचित अभिलेखों का अभाव

दिल्ली के चयनित विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के प्रवेश क्षेत्र का आकलन करने हेतु लेखापरीक्षा ने छात्रों के निवास स्थान, श्रेणी आदि का निर्धारण करने हेतु प्रवेश अभिलेखों की माँग की थी। **जीजीएसआईपीयू** ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान दिल्ली और दिल्ली क्षेत्र के बाहर के छात्रों के प्रवेश; अनारक्षित और भरी गई रिक्त आरक्षित सीटों; विश्वविद्यालय अध्ययन स्कूल (यूएसएस) में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों के लिए आरक्षित और भरी गई सीटों; और स्पॉट[7] काउंसलिंग के माध्यम से भरी गई रिक्त सीटों के विवरण/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए। विवरण/अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा प्रवेश प्रक्रिया में अपनाई गई कार्यविधि(यों) की प्रामाणिकता और निष्पक्षता तथा पारदर्शिता के बारे में कोई आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी।

अपने उत्तर में, जीजीएसआईपीयू ने कहा (जनवरी 2024) कि विश्वविद्यालय की पूरी प्रवेश परामर्श प्रक्रिया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को बहिःस्रोतित की गई है और एनआईसी केवल विश्वविद्यालय को कुल प्रवेशित छात्रों का डाटा प्रदान करता है, जिसमें छात्रों का क्षेत्र-वार (दिल्ली और दिल्ली

[7] प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद, केवल रिक्त सीटों को भरने के उद्देश्य से, ऑनलाइन स्पॉट काउंसलिंग आयोजित की जाती है। सभी श्रेणियों के संपरिवर्तन ऑनलाइन काउंसलिंग के अंतिम चरण में पूरे हो जाते हैं और स्पॉट काउंसलिंग भरी जाने वाली में सभी सीटों को अनारक्षित माना जाता है। विश्वविद्यालय अध्ययन स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों में उम्मीदवारों की रिपोर्टिंग/प्रवेश के बाद बची हुई रिक्त सीटों को ही स्पॉट काउंसलिंग में भरने के लिए विचार किया जाता है।

क्षेत्र के बाहर) विवरण, सीटों के अनारक्षण और उनके आबंटन के संबंध में डाटा और ईडब्ल्यूएस सीटों का विवरण शामिल नहीं है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनआईसी केवल विश्वविद्यालय की ऑनलाइन प्रक्रियाओं में सहायता कर रहा है और विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सभी डाटा प्रदान करने के लिए बाध्य होगा। प्रवेश में पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रवेश संबंधी अपनी नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रवेश प्रक्रिया का संपूर्ण डाटा बनाए रखना विश्वविद्यालय की ज़िम्मेदारी है।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि विश्वविद्यालय ने प्रवेश नीति का निष्पक्ष विश्लेषण सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया पर विश्वविद्यालय को संपूर्ण डाटा उपलब्ध कराने के लिए एनआईसी के साथ मामला उठाया है।

2.3 विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मुद्दे

2.3.1 पुराने पाठ्यक्रम

यूजीसी ने सिफारिश की (जनवरी 2017) कि विश्वविद्यालयों के सभी शैक्षणिक विभागों के पाठ्यक्रमों की प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा की जानी चाहिए और इसमें परिशोधन किया जाना चाहिए, जिसमें विद्यार्थियों को रोज़गार योग्य बनाने के लिए कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि **जीजीएसआईपीयू** के विश्वविद्यालय स्कूलों में 62 कार्यक्रमों में से, छह पाठ्यचर्याओं के पाठ्यक्रम पिछले तीन से पांच वर्षों में और तीन पाठ्यचर्याओं के पाठ्यक्रम पिछले पांच से 11 वर्षों में परिशोधित नहीं किए गए **(अनुलग्नक 2.4)**। इसी प्रकार, विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कुल 109 कार्यक्रमों में से 51 (अर्थात पाठ्यक्रमों का 47 *प्रतिशत*) के पाठ्यक्रम जीजीएसआईपीयू के अध्ययन स्कूलों के बोर्ड द्वारा परिशोधित नहीं किए गए (पिछले पांच से 16 वर्षों के दौरान 44 और पिछले तीन से पांच वर्षों के दौरान सात) **(अनुलग्नक 2.5)**।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने पहले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया है और सभी स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए योजनाओं और पाठ्यक्रमों को परिशोधित कर दिया है।

विश्वविद्यालय स्कूलों और संबद्ध कॉलेजों के तथ्यों **(अनुलग्नक 2.6** और **2.7)** से उत्तर की पुष्टि नहीं होती है, जहाँ विभिन्न पाठ्यक्रमों में परिशोधन तीन से 16 वर्षों तक लंबित थे।

इसी प्रकार, **डीटीयू** में कुल 35 स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रमों में से 18 कार्यक्रमों (51 *प्रतिशत)* के पाठ्यक्रम तीन वर्षों से अधिक समय से परिशोधित नहीं किए गए थे। डीटीयू ने कहा (मार्च 2024) कि वह एआईसीटीई की सिफ़ारिशें प्राप्त होने पर विभिन्न पीजी कार्यक्रमों के लिए योजना और पाठ्यचर्या की समीक्षा और अद्यतन करता है। विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू ने वर्ष 2019 में पीजी कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम में परिशोधन किया।

डीपीएसआरयू में, विश्वविद्यालय स्कूलों द्वारा प्रस्तुत कुल 38 यूजी, पीजी, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र कार्यक्रमों (कुल का 34 *प्रतिशत*) में से 13 के पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय द्वारा परिशोधित नहीं किया गया (उनमें से 12 को पांच वर्षों से अधिक समय तक परिशोधित नहीं किया गया)।

डीपीएसआरयू ने अपने उत्तर में कहा कि उसके द्वारा संचालित कई पाठ्यक्रम राष्ट्रीय नियामक परिषद (एनआरसी) द्वारा विनियमित हैं और पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। तथापि, उसने एनआरसी द्वारा विनियमित कार्यक्रमों की सूची प्रदान नहीं की और न ही यह स्पष्ट किया कि शेष कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों में परिशोधन किया गया था या नहीं। विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि वह विश्वविद्यालय द्वारा उद्योग की माँग के अनुसार पाठ्यक्रम को समयबद्ध तरीके से अद्यतन करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है।

इस प्रकार, विश्वविद्यालयों और संबद्ध स्कूलों/कॉलेजों द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या के परिशोधन में विलंब हुआ, जिससे पाठ्यक्रम सामग्री की प्रासंगिकता प्रभावित हुई। कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में परिशोधन न होने/विलंबित होने से प्रदान की जाने वाली शिक्षा पुरानी और उद्योगों व समाज की वर्तमान माँगों की दृष्टि से अप्रासंगिक हो जाती है, जिससे उत्तीर्ण छात्रों के स्थानन पर प्रभाव पड़ता है।

2.3.2 परीक्षाएं

विश्वविद्यालयों के परीक्षा स्कंध परीक्षाओं का आयोजन, परिणामों का प्रकाशन करने और सफल छात्रों को उपाधियां प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। परीक्षा नियंत्रक/सहायक नियंत्रक, उन सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए परीक्षाएं आयोजित करते हैं जिन्हें शैक्षणिक परिषद द्वारा उपाधि प्रदान करने के लिए अनुमोदित और अधिसूचित किया गया है, और जो शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम और शिक्षण एवं परीक्षा योजना के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। परीक्षाओं में छात्रों का प्रदर्शन किसी भी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षण और अधिगम की प्रभावशीलता का एक संकेतक है।

2018-23 के दौरान, **जीजीएसआईपीयू** के विश्वविद्यालय स्कूलों में अंतिम वर्ष के छात्रों की कुल सफलता प्रतिशतता 91 *प्रतिशत* थी (2022-23 में 83 *प्रतिशत* से लेकर 2019-20 में 97 *प्रतिशत* तक); तथापि, विश्वविद्यालय स्कूलों के 42 कार्यक्रमों के मामले में, 2018-23 के दौरान सफलता प्रतिशतता 80 या उससे कम थी, जिससे विश्वविद्यालय का समग्र प्रदर्शन प्रभावित हुआ। संबद्ध कॉलेजों में, 2018-23 के दौरान 135 कार्यक्रमों के लिए कुल सफलता प्रतिशतता 96 *प्रतिशत* थी (2022-23 में 88 *प्रतिशत* से लेकर 2019-20 में 98 *प्रतिशत* तक) जब कि 45 कार्यक्रमों में यह 80 या उससे कम थी। **डीटीयू** में, समीक्षाधीन वर्षों के दौरान परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अंतिम वर्ष के छात्रों की प्रतिशतता 87 से 92 *प्रतिशत* के बीच रही। **डीपीएसआरयू** में मास्टर/डॉक्टरेट कार्यक्रमों में सफलता प्रतिशतता 100 थी और अधिकांश अन्य कार्यक्रमों में भी यह 90 से ऊपर रही।

परीक्षाओं और संबंधित गतिविधियों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां नीचे दी गई हैं।

2.3.2.1 परिणामों की घोषणा में विलंब

यूजीसी द्वारा जारी छात्र अधिकार संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, "छात्रों को प्रॉस्पेक्टस में शैक्षणिक कैलेंडर में विनिर्दिष्ट समय पर परीक्षा के आयोजन और परिणामों की घोषणा का अधिकार प्राप्त है।" परिणामों की घोषणा में विलंब से छात्रों और संकाय दोनों के लिए शैक्षणिक योजना में बाधा आती है, जिससे

पाठ्यक्रम, अधिन्यास और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन चुनौतीपूर्ण हो जाता है और आगे की पढ़ाई की योजना बनाने वाले छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

जीजीएसआईपीयू के पास परिणामों की घोषणा के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं था। उत्तर में, यह कहा गया (नवंबर 2023) कि परिणाम अंतिम परीक्षा आयोजित होने की तिथि से 45 दिनों के अंदर घोषित कर दिए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-22 (जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा जानकारी प्रदान की गई थी) के दौरान, जीजीएसआईपीयू ने 368 परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए, जिनमें से 199 परीक्षाओं के परिणाम, यानी 54 प्रतिशत के परिणाम, विलंब से घोषित किए गए। 2019-20 में तीन मामलों में, विलंब आठ महीने तक का था।

डीटीयू के विभिन्न विनियमों/एसओपी/शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार, अंतिम परीक्षा आयोजित होने की तिथि से परिणाम घोषित करने के लिए लगभग 30 दिनों की अवधि प्रदान की गई है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-23 के दौरान 183 में से 22 परिणाम अंतिम परीक्षा के आयोजन की तिथि से 45 दिन से अधिक, 110 दिन तक के विलंब से घोषित किए गए।

डीपीएसआरयू में, परिणामों की घोषणा के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। 2018-19 और 2019-20 के दौरान परिणामों की घोषणा में लगने वाले दिनों की संख्या 200 दिनों से भी अधिक थी। यद्यपि, 2022-23 में यह उल्लेखनीय रूप से घटकर 34 दिन रह गई। डीपीएसआरयू ने कहा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश में एक विशिष्ट समय-सीमा शामिल की जाएगी।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू के मामले में पिछले वर्षों में परीक्षा परिणाम घोषित करने में कुछ विलंब हुआ था और शैक्षणिक सत्र 2023-24 के परिणाम 45 दिनों की निर्धारित समयावधि के अंदर घोषित किए गए। डीटीयू के मामले में, परिणाम घोषित करने में विलंब का कारण विश्वविद्यालय की आईटी प्रणाली से भारत सरकार के '**समर्थ**' पोर्टल पर प्रक्रिया का स्थानांतरण था।

2.3.2.2 छात्रों को उपाधि जारी करने में विलंब

यूजीसी के उपाधि और अन्य पंचाट प्रदान करने संबंधी विनियम, 2008 में प्रावधान है कि उपाधि प्रदान करने की तिथि(यां) परिणाम घोषित होने की तिथि(यों) से 180 दिनों के अंदर होनी चाहिए। सफल छात्रों को उपाधियां प्रदान करना शैक्षिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है और उपाधियां प्रदान करने में होने वाला विलंब उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा तथा छात्रों के रोज़गार/उच्चतर शिक्षा के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि **जीजीएसआईपीयू** द्वारा 100 कार्यक्रमों (कुल 163 कार्यक्रमों का 61 *प्रतिशत*) के संबंध में उपाधियां जारी करने में आठ दिन से लेकर सात महीने तक और 104 कार्यक्रमों (कुल 163 कार्यक्रमों का 64 *प्रतिशत*) के संबंध में सात दिन से नौ महीने तक का विलंब हुआ, जिनके लिए क्रमशः मार्च 2022 और जून 2023 को दीक्षांत समारोह आयोजित किए गए थे। **डीपीएसआरयू** में, परिणामों की घोषणा से 180 दिनों की निर्धारित अवधि से अधिक का विलंब हुआ। 2019-22 के दौरान छह कार्यक्रमों[8] की उपाधि जारी करने में 25 से 716 दिनों (लगभग 2 वर्ष) तक का विलंब हुआ।

अपने उत्तर में, विभाग ने जीजीएसआईपीयू के मामले में उपाधियां जारी करने में विलंब के लिए कोविड-19 के प्रकोप के बीच दीक्षांत समारोह आयोजित करने में विलंब को ज़िम्मेदार ठहराया (मार्च 2025) और सूचित किया कि विश्वविद्यालय समय पर दीक्षांत समारोह आयोजित करने के लिए एक प्रणाली तैयार करने की प्रक्रिया में है। उपाधियां जारी करने में विलंब के लिए कोविड-19 के प्रकोप को ज़िम्मेदार ठहराना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति कोविड-19 के बाद की अवधि (अर्थात वर्ष 2022 और 2023) से संबंधित है। डीपीएसआरयू के मामले में, छात्रों को अंतिम उपाधियां दीक्षांत समारोह के दौरान दी जाती हैं और यदि कोई छात्र मांग करता है तो तुरंत एक अनंतिम उपाधि जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, बीपीटी (बैचलर ऑफ फिज़ियोथेरेपी) के

[8] 1. बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बीपीटी)-2019, 2. बीपीटी-2020, 3. बीपीटी-2021, 4. बीपीटी-2022, 5. डी.फार्मा-2018 और 6. डी.फार्मा-2019।

छात्र 8वें सत्र के बाद इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, इसलिए उन्हें अगले वर्ष उपाधि प्रदान की जाती है।

इस प्रकार, परीक्षा परिणामों की घोषणा के लिए समय-सीमा का उल्लंघन तथा सफल छात्रों को उपाधि जारी करने में विलंब के कारण, कैरियर बनाने वाले या उच्चतर शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले इन छात्रों को अनुचित कठिनाई का सामना करना पड़ा।

सिफारिश 3: विश्वविद्यालयों को नूतन विकास/उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों में नियमित परिशोधन करना चाहिए तथा समय पर परिणाम घोषित करना चाहिए/उपाधियां प्रदान करनी चाहिए।

2.4 अनुसंधान एवं विकास, पेटेंट, परामर्श और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 2030 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। इसमें यह पहचाना गया है कि अनुसंधान पर कम ज़ोर और विभिन्न विषयों में प्रतिस्पर्धी सहकर्मी-समीक्षित अनुसंधान के लिए वित्तपोषण की कमी भारत में उच्चतर शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य समस्याएं थीं।

विश्वविद्यालयों में, अनुसंधान प्रयासों को उनकी योजनाओं के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। लेखापरीक्षा ने रा.रा.क्षे.दि.स. के चयनित विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं विकास परिवेश की समीक्षा की और उसके निष्कर्ष निम्नलिखित हैं।

2.4.1 अनुसंधान समितियों का कामकाज

उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए "अनुसंधान और विकास सेल" की स्थापना के लिए मार्च 2022 के यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुपालन में, एनईपी-2020 के प्रावधानों के अनुरूप, **जीजीएसआईपीयू** ने अपने अनुसंधान और परामर्श निदेशालय (डीआरसी) का नाम बदलकर "अनुसंधान और विकास सेल" (आरडीसी) कर दिया और मौजूदा

अनुसंधान प्रणाली को मज़बूत करने के लिए चार समितियों/परिषदों[9] का गठन किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न विभागों और संकायों में अनुसंधान गतिविधियों को सुगम बनाने और बढ़ाने के लिए गठित अनुसंधान परिषद ने कोई बैठक नहीं की, और उत्पाद विकास, निगरानी और व्यापारीकरण समितियों ने नवंबर 2022 में केवल एक बैठक की। चारों समितियों/परिषदों में से किसी ने भी कुलपति को कोई शोध कार्यकलाप प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय ने यूजीसी दिशानिर्देशों के अंतर्गत परिकल्पित संगत डाटाबेस और सूचनाओं के प्रलेखन के लिए अनुसंधान सूचना प्रबंधन प्रणाली (आरआईएमएस) का निर्माण अभी तक नहीं किया है।

अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने कहा (जनवरी 2024) कि विभिन्न समितियों की रिपोर्टें दिसंबर 2023 में कुलपति को सौंप दी गई हैं और अब नियमित रूप से प्रस्तुत की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार एक 'अनुसंधान सूचना प्रबंधन प्रणाली (आरआईएमएस)' स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है, और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए खरीदी गई संपत्तियों और उपकरणों का एक केंद्रीकृत डाटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया में है।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के बाद, विभिन्न समितियों की प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं।

डीटीयू और डीपीएसआरयू में अनुसंधान एवं विकास परिषदों का गठन नहीं किया गया।

2.4.2 विश्वविद्यालयों की शोध योजनाएं

संकाय शोध अनुदान योजना (एफआरजीएस) के अंतर्गत, **जीजीएसआईपीयू** विश्वविद्यालय के अध्ययन स्कूलों में कार्यरत नियमित शिक्षकों को एकमुश्त बीज धन के रूप में और वार्षिक शोध अनुदान के माध्यम से विश्वविद्यालय के शोध परिणामों को बढ़ाने हेतु शोध कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-23 के दौरान एफआरजीएस के

[9] 1. अनुसंधान परिषद, 2. अनुसंधान कार्यक्रम, संवर्धन और नीति विकास समिति, 3. सहयोग, परामर्श और सामुदायिक समिति, 4. उत्पाद विकास, निगरानी और व्यापारीकरण समिति

वार्षिक शोध अनुदान घटक के अंतर्गत निधियां प्राप्त करने वाले संकाय सदस्यों में उल्लेखनीय कमी आई, जिसमें शोध परियोजनाओं में भाग लेने वाले संकाय सदस्यों का प्रतिशत 2018-19 के 51 *प्रतिशत* से घटकर 2022-23 में 35 *प्रतिशत* हो गया। इसके अतिरिक्त, अनुदान जारी करने के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष की 1 अप्रैल की समय-सीमा के प्रति, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अनुदान 32 से 172 दिनों के विलंब से जारी किए गए।

उत्तर में, विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू एफआरजीएस में संकाय सदस्यों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ वार्षिक बैठकें आयोजित करने की योजना बना रहा है। 2020-22 के दौरान एफआरजीएस अनुदान जारी करने में विलंब के लिए कोविड-19 को ज़िम्मेदार ठहराया गया, और अनुदानों के समय पर वितरण के लिए और अधिक प्रयास करने का आश्वासन दिया गया।

इसी प्रकार, **डीटीयू** मार्च 2019 में बनी नीति के अनुसार अपने स्थायी/नियमित संकाय को डॉक्टरेट की उपाधि के साथ शोध परियोजना अनुदान योजना के अंतर्गत एक शोध परियोजना में अन्वेषक के रूप में कार्य करने के लिए शोध परियोजना अनुदान प्रदान करता है। डीटीयू ने 16 शोध परियोजनाओं को मंज़ूरी दी, जिसके लिए 2019-20 के दौरान कुल ₹ 65.46 लाख का अनुदान जारी किया गया। इनमें से आठ शोध परियोजनाएं 2022/2023 में पूरी हुईं, जब कि शेष परियोजनाओं में प्रगति सुनिश्चित नहीं थी। शैक्षणिक वर्ष 2020-23 के दौरान डीटीयू द्वारा कोई और शोध परियोजना स्वीकृत नहीं की गई और कोई अनुदान जारी नहीं किया गया। यह भी पाया गया कि डीटीयू के 94 *प्रतिशत* नियमित संकाय ने 2019-20 के दौरान शोध परियोजना अनुदान का लाभ नहीं उठाया। संकाय द्वारा शुरू की गई 16 शोध परियोजनाओं में, 47 शोध पत्र प्रकाशित किए गए थे, परंतु इन शोध प्रयासों के परिणामस्वरूप कोई बौद्धिक स्वत्व अधिकार या पेटेंट प्राप्त नहीं हुआ, जैसा कि विश्वविद्यालय की शोध नीति में परिकल्पित है।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2025) कि कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण 2020-23 की अवधि के दौरान डीटीयू द्वारा किसी भी शोध प्रस्ताव को मंज़ूरी नहीं दी गई और विश्वविद्यालय ने सितंबर 2024 में शोध परियोजना

अनुदान योजना को पुनः अभिकल्पित किया और नए प्रस्तावों के आमंत्रण और स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

डीपीएसआरयू में, 13 संकाय सदस्यों को 2021-22 के दौरान ₹ 28.33 लाख का बीज धन प्रदान किया गया, जब कि 2020-21 और 2022-23 के दौरान निधियां उपलब्ध होने के बावजूद किसी को भी बीज धन प्रदान नहीं किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया है कि उसके संकाय ने 2018-23 के दौरान 612 शोध पत्र प्रकाशित किए थे।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2025) कि वह स्वीकार करता है कि डीपीएसआरयू को शोध गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए संभावित आंतरिक वित्तपोषण स्रोतों की पहचान करने और सरकारी अनुदान और निजी प्रतिष्ठानों को खोजने की आवश्यकता है।

विश्वविद्यालय संकाय द्वारा शोध-संबंधित गतिविधियों में उत्साह की कमी नवाचार और उद्योग उन्मुखीकरण के लिए अनुकूल वातावरण के अभाव का संकेत है और यह दिल्ली में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की समग्र रूप से कमज़ोर शैक्षणिक सुदृढ़ता को दर्शाता है।

2.4.3 शोध प्रकाशन - मात्रा और गुणवत्ता

एच-सूचकांक, या हिर्श सूचकांक, एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त माप-विद्या है जो किसी शैक्षणिक संस्थान के शोध परिणामों की उत्पादकता और प्रभाव दोनों को दर्शाता है। यह प्रकाशनों की संख्या और उनके संबंधित उद्धरणों की संख्या को ध्यान में रखता है, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक प्रभाव का एक मात्रात्मक माप प्राप्त होता है।

कैलेंडर वर्ष 2019-23 के दौरान वेब ऑफ साइंसेज़ द्वारा रिपोर्ट की गई जीजीएसआईपीयू के संकाय द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या, उद्धरणों की संख्या और विश्वविद्यालय के एच-सूचकांक का विवरण **तालिका 2.3** में दिया गया है।

तालिका 2.3: शोध पत्रों के प्रकाशनों, उद्धरणों की संख्या और एच-सूचकांक का विवरण

वर्ष	2019	2020	2021	2022	2023
प्रति वर्ष प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या	182	215	272	249	232
नियमित संकाय की संख्या	181	181	177	203	203
पीएचडी कर रहे छात्रों की संख्या	290	408	506	621	743
संकाय और शोध वृत्ति-छात्रों की कुल संख्या	471	589	683	824	946
प्रति संकाय और वृत्ति-छात्र द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या	0.39	0.36	0.39	0.30	0.25
उद्धरणों की संख्या (प्रगतिशील)	29,225	32,692	35,974	37,589	37,961
विश्वविद्यालय का एच-सूचकांक	74	76	79	80	80

स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा दी गई जानकारी

वर्ष 2019-23 के दौरान, जीजीएसआईपीयू का एच-सूचकांक मूल्य प्रायः स्थिर रहा, जो शोध परिणामों के समग्र प्रभाव और उद्धरण में सीमित सुधार को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, प्रति संकाय और वृत्ति-छात्र द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या में 2019 के 0.39 से 2023 में 0.25 तक की गिरावट देखी गई है। इसका मतलब है कि औसतन, प्रत्येक संकाय सदस्य और वृत्ति-छात्र 2019-23 की अवधि में कम शोध पत्र तैयार कर रहे थे।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू शोध कार्य और उनके प्रकाशन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करने के लिए संकाय को प्रोत्साहित करने हेतु शोध प्रकाशन अनुदान योजना में परिशोधन जैसी पहल कर रहा है।

डीटीयू के मामले में, जब कि शोध पत्रों के प्रकाशन और उद्धरण की संख्या के संदर्भ में 2018-23 के दौरान प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, विश्वविद्यालय का एच-सूचकांक (जैसा कि वेब ऑफ साइंसेज द्वारा रिपोर्ट किया गया है) 97 से 102 के बीच प्रायः स्थिर रहा है, जैसा कि **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4: शोध पत्रों के प्रकाशनों, उद्धरणों की संख्या और एच-सूचकांक का विवरण

वर्ष	2019	2020	2021	2022	2023
प्रति वर्ष प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या	321	442	694	756	852
नियमित संकाय की संख्या	258	266	301	301	288
पीएचडी कर रहे छात्रों की संख्या	924	1,065	1,185	1,307	1,368
संकाय और वृत्ति-छात्रों की कुल संख्या	1,182	1,331	1,486	1,608	1,656

वर्ष	2019	2020	2021	2022	2023
प्रति संकाय और वृत्ति-छात्र द्वारा शोध पत्र प्रकाशन की संख्या	0.27	0.33	0.47	0.47	0.51
उद्धरणों की संख्या (प्रगतिशील)	71,502	83,160	92,758	97,227	98,826
विश्वविद्यालय का एच-सूचकांक	97	100	102	102	102

स्रोत: वेब ऑफ साइंसेज़ से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी

विभाग ने डीटीयू के मामले में कहा (मार्च 2025) कि वर्तमान शिक्षण-पद्धति में एच-सूचकांक को विशेष प्रासंगिकता और महत्व दिया जा रहा है और पुष्टि की कि लेखापरीक्षा के समापन के समय डीटीयू का एच-सूचकांक 102 था।

चार्ट 2.4: जीजीएसआईपीयू और डीटीयू के एच-सूचकांक

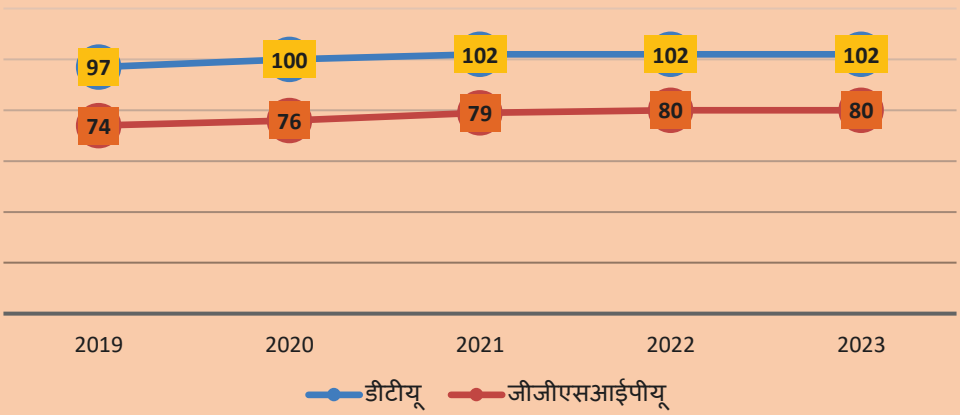

डीपीएसआरयू एच-सूचकांक डाटा का अनुरक्षण नहीं करता है। तथापि, उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, उसने 2019-23 के दौरान स्कोपस सूचकांक जर्नल्स में कुल 571 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, जिनमें कुल 1,481 उद्धरण हैं। विश्वविद्यालय द्वारा "स्कोपस जर्नल" से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में विश्वविद्यालय का एच-सूचकांक 38 है। तथापि, सत्यापन योग्य आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा वर्ष-दर-वर्ष प्रवृत्तियों पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि विविध विषयों को सम्मिलित करने वाले विश्वविद्यालयों के विपरीत, डीपीएसआरयू मुख्य रूप से औषधी विज्ञान पर केंद्रित है, जहाँ प्रकाशन और उद्धरण की गतिशीलता बहु-विषयक संस्थानों से भिन्न है। आगे कहा गया कि विभाग डीपीएसआरयू के शोध प्रकाशनों की मात्रा और गुणवत्ता के बारे में चिंता को स्वीकार करता है और विश्वविद्यालय में शोध की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जीजीएसआईपीयू का एच-सूचकांक 74 से 80, डीटीयू का 97 से 102 और डीपीएसआरयू का 38 था। दिल्ली के राज्य विश्वविद्यालयों का यह प्रदर्शन दिल्ली विश्वविद्यालय (2018-23 में 191 से 270) और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (2022-23 में 168) से काफी नीचे था। तथापि, यह स्वीकार किया जाता है कि इस निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल तीनों विश्वविद्यालय शिक्षण के व्यापक रूप से भिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, फिर भी शोध मानकों पर उनके प्रदर्शन में सुधार की काफी गुंजाइश है।

2.4.4 प्रकाशित/प्रदान किए गए पेटेंटों का मुद्रीकरण

शोध कार्य और नवाचार, जो प्रदान किए गए पेटेंटों की संख्या से मापे जाते हैं, किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। पेटेंट विश्वविद्यालयों में शोध कार्य और नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि वे शोध परिणामों का संरक्षण और मुद्रीकरण करते हैं। 2018-23 के दौरान तीनों विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए पेटेंटों की संख्या और मुद्रीकरण किए गए पेटेंटों की संख्या **तालिका 2.5** में दी गई है।

तालिका 2.5: 2018-23 में प्रदान किए गए पेटेंट

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	प्रदान किए गए पेटेंटों की संख्या	मुद्रीकृत (₹ लाख में)
1	जीजीएसआईपीयू	37	शून्य
2	डीटीयू	09	शून्य
3	डीपीएसआरयू	शून्य	शून्य

2018-20 के दौरान जीजीएसआईपीयू को कोई पेटेंट नहीं मिला, परंतु उसके बाद के तीन वर्षों में 37 पेटेंट के लिए आवेदन किया गया/उन्हें प्रदान किया गया। इस संबंध में डीटीयू और डीपीएसआरयू का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा। इनमें से कोई भी विश्वविद्यालय पेटेंट से आय अर्जित नहीं कर सका। यह भी उल्लेखनीय है कि डीटीयू को 2023 की एनआईआरएफ श्रेणीक्रम में मापदंड अनुसंधान एवं वृत्तिक पद्धति के अंतर्गत उप-मापदंड "बौद्धिक स्वत्व अधिकार" (आईपीआर) में शून्य अंक प्राप्त हुआ, जो दर्शाता है कि इस संबंध में उसके प्रयास अपर्याप्त थे।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू के मामले में, 2022 में गठित बौद्धिक स्वत्व अधिकार (आईपीआर) सेल पूरी तरह सक्रिय हो गया है और प्रदान किए गए पेटेंटों के मुद्रीकरण के क्षेत्र में भी काम करेगा। डीटीयू के मामले में, यह बताया गया कि विश्वविद्यालय ने सितंबर 2024 में उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नीति तैयार कर ली है और पेटेंट दाखिल करने की सुविधा के लिए उपयुक्त अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं, जिससे आईपीआर और पेटेंट के क्षेत्रों में बेहतर परिणाम सुनिश्चित होंगे।

डीपीएसआरयू ने कहा (अक्टूबर 2024) कि उन्होंने पेटेंट के लिए आवेदन किया है, परंतु पेटेंट प्राप्त करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और उन्हें अभी तक कोई पेटेंट नहीं मिला है। विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि विश्वविद्यालय प्रदान किए गए पेटेंट के मुद्रीकरण की संभावनाओं का पता लगाएगा और इसका उपयोग छात्रों, शिक्षकों और विश्वविद्यालय के लाभ के लिए करेगा।

2.4.5 परामर्श परियोजनाएं

वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए उद्योग, सेवा क्षेत्र आदि से परामर्श परियोजनाएं, जिनका समाधान निर्दिष्ट समय-सीमा में अपेक्षित होता है, किसी भी विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है और इसे एक प्रदर्शन सूचक के रूप में समर्थन और मान्यता दी जानी चाहिए।

वर्ष 2018-2023 की अवधि के दौरान चयनित विश्वविद्यालयों द्वारा की गई परामर्श परियोजनाओं का विवरण **तालिका 2.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: विश्वविद्यालयों द्वारा शुरू की गई परामर्श परियोजनाएं

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	परामर्श परियोजनाओं की संख्या	प्राप्त निधि (₹ लाख में)
1.	जीजीएसआईपीयू	2	2.70
2.	डीटीयू	149	1,979.00
3.	डीपीएसआरयू	4	18.70

इस प्रकार, केवल डीटीयू के पास ही परामर्श परियोजनाओं की कोई उल्लेखनीय संख्या थी, जो यह दर्शाता है कि जीजीएसआईपीयू और डीपीएसआरयू को इस पहलू पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

जीजीएसआईपीयू के मामले में विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के संस्थागत और व्यक्तिगत परामर्श दिशानिर्देशों को परिशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया है और आने वाले वर्षों में परामर्श परियोजनाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार लाने का लक्ष्य रखा है। डीपीएसआरयू के मामले में, यह बताया गया कि परामर्श परियोजनाओं की कम संख्या का कारण औषधी विज्ञान की विशिष्ट प्रकृति है, जहाँ अनुसंधान और नवाचार प्रायः पारंपरिक परामर्श नमूनों के बजाय नियामक ढाँचों, नैदानिक अध्ययनों और अनुवादात्मक अनुसंधान के साथ अधिक संरेखित होते हैं। डीपीएसआरयू ने स्थिति में सुधार के लिए विश्वविद्यालय में एक परामर्श सेल के गठन का आश्वासन दिया।

निर्गम सम्मेलन में, शोध, परामर्श और पेटेंट के संदर्भ में, तीनों विश्वविद्यालयों ने सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किया। तथापि, यह स्वीकार किया गया कि इन विश्वविद्यालयों के बीच परस्पर तुलना संभव नहीं है क्योंकि डीटीयू और डीपीएसआरयू मुख्यतः तकनीकी संस्थान हैं, जब कि जीजीएसआईपीयू मुख्यतः सामान्य पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रेणी प्रदान करता है।

सिफारिश 4: विश्वविद्यालयों को समाज और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप परामर्श/शोध परियोजनाएं शुरू करने के लिए रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।

2.4.6 उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ अप्रभावी सहयोग

छात्र एवं संकाय विनिमय कार्यक्रमों, संयुक्त संगोष्ठियों, सम्मेलनों और शोध प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से अंतर-संस्थागत सहयोग, शिक्षण पद्धति की गुणवत्ता बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है, साथ ही विचारों और प्रथाओं के विनिमय का अवसर भी प्रदान करता है जिससे भाग लेने वाले संस्थानों को लाभ होता है। 2018-23 के दौरान छात्र एवं संकाय विनिमय कार्यक्रमों के संदर्भ में उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों के साथ सहयोग और उनके कार्यान्वयन का विश्वविद्यालय-वार विवरण **तालिका 2.7** में दिया गया है।

तालिका 2.7: 2018-23 के दौरान विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए सहयोग और उनका कार्यान्वयन

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की संख्या	छात्र विनिमय कार्यक्रमों की संख्या	संकाय विनिमय कार्यक्रमों की संख्या
1.	जीजीएसआईपीयू	16	0	1
2.	डीटीयू	28	2	1
3.	डीपीएसआरयू	11	0	0

वैश्विक शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ, जीजीएसआईपीयू ने 2018-23 के दौरान विभिन्न विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के साथ 16 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता ज्ञापन छात्र और संकाय विनिमय कार्यक्रमों को सुगम बनाने और संयुक्त संगोष्ठियों, सम्मेलनों और शोध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए डिज़ाइन किए गए थे। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियाँ फलदायी नहीं रहीं क्योंकि कोई भी छात्र विनिमय कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया गया और 2018-23 के दौरान संकाय विनिमय कार्यक्रम का केवल एक ही उदाहरण था।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू मौजूदा समझौता ज्ञापनों के अंतर्गत और अधिक गतिविधियों को आयोजित करने के प्रयास कर रहा है और साथ ही दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के साथ नए समझौता ज्ञापनों के अवसरों की खोज कर रहा है।

डीटीयू ने 2017 और 2023 के बीच विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के साथ 28 सक्रिय समझौता ज्ञापन/शैक्षणिक सहयोग किए और पांच अन्य सहयोग प्रक्रियाधीन हैं। तथापि, छात्र विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत, केवल पांच छात्रों को नामांकित किया गया था और 2018-23 के दौरान संकाय विनिमय कार्यक्रम का केवल एक ही उदाहरण था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि विदेशी सहयोग के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों को उनकी वैधता अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकृत नहीं किया गया था।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू ने मार्च 2024 में विदेशी सहयोग के लिए नए दिशानिर्देश तैयार किए हैं और अब वह सहयोग के लिए बड़े पैमाने पर आउटरीच गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और छात्र विनिमय कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

डीपीएसआरयू ने 2017 और 2023 के बीच छात्रों के विनिमय, संयुक्त शिक्षा कार्यक्रमों, संयुक्त अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों आदि के लिए विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के साथ 11 सक्रिय समझौता ज्ञापन/शैक्षणिक सहयोग किए। तथापि, इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय ने कोई छात्र/संकाय विनिमय नहीं किया।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि वह उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ अप्रभावी सहयोग के बारे में चिंता को स्वीकार करता है और डीपीएसआरयू को छात्र विनिमय कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

2.4.7 संकाय शोध अनुदान योजना और प्रायोजित शोध परियोजनाओं के लिए उपकरण की खरीद और इन्वेंट्री प्रबंधन

जीजीएसआईपीयू की प्रायोजित शोध परियोजनाओं के लिए विश्वविद्यालय विनियम (अप्रैल 2016) के खंड 4 के अंतर्गत प्रदान की गई खरीद प्रक्रिया के अनुसार, शोध परियोजनाओं के लिए सभी खरीद सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के अनुसार की जाएंगी। परियोजना के पूरा होने के बाद, परियोजना के अंतर्गत खरीदे गए उपकरण/पुस्तकें विश्वविद्यालय की संपत्ति बन जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में 18 मामले देखे गए जहाँ जीजीएसआईपीयू द्वारा ई-खरीद/जीईएम पोर्टल के बजाय खुले बाज़ार के माध्यम से सामान/उपकरण खरीदे जा रहे थे, जो जीएफआर 2017 के नियम 149 के प्रावधानों के विरुद्ध है। साथ ही, परियोजना के पूरा होने के बाद, संकाय शोध अनुदान योजना (एफआरजीएस) के अंतर्गत खरीदे गए उपकरण/पुस्तकों को विश्वविद्यालय स्कूल के स्टॉक रजिस्टर और विश्वविद्यालय के केंद्रीकृत स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा को एफआरजीएस परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त उपकरणों की विशिष्टताओं को सत्यापित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं मिला।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू के विश्वविद्यालय स्कूलों ने खरीदे गए उपकरणों का विवरण दर्ज करने के लिए स्टॉक रजिस्टर बनाए रखना शुरू कर दिया है और एफआरजीएस से खरीदी गई अचल संपत्तियों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीटीयू में 2018-23 के दौरान शोध अनुदान/प्रायोजित परियोजनाओं के कोष से खरीदे गए ₹ 5.89 करोड़ की लागत के उपकरण, मशीनरी और अन्य गैर-उपभोज्य वस्तुओं को विश्वविद्यालय के लेखाओं में उसकी परिसंपत्तियों के रूप में नहीं दर्शाया गया।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू अपने लेखाओं में उक्त उपकरणों के को दर्ज किए जाने के संबंध में विसंगति का पता लगाएगा और उसका समाधान करेगा।

2.5 छात्रों का स्थानन और स्टार्ट-अप गतिविधियां

2.5.1 छात्रों का स्थानन

विश्वविद्यालय छात्र स्थानन सेल छात्रों और संभावित नियोक्ताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य सफल नौकरी स्थानन और इंटर्नशिप की सुविधा प्रदान करना है।

(i) **जीजीएसआईपीयू** के स्थानन सेल द्वारा 2018-22 के लिए उपलब्ध कराए गए स्थानन आंकड़ों के अनुसार**,** 11 विश्वविद्यालय अध्ययन स्कूलों (12 स्कूलों और 2 उत्कृष्टता[10] केंद्रों में से) में, 34 से 64 *प्रतिशत* छात्रों को उनके माध्यम से स्थानन प्राप्त हुए (अपनी उपाधि पूरी करने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया)। यूएसएस में, जैव प्रौद्योगिकी, रासायनिक प्रौद्योगिकी, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान तथा मौलिक एवं अनप्रयुक्त विज्ञान स्कूल छात्रों के स्थानन में पीछे रहे।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि सभी विश्वविद्यालय स्कूलों के छात्रों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, तथापि, नौकरी देना भर्तीकर्ताओं का विवेकाधिकार है। इसके अतिरिक्त, एक पूर्व छात्र सेल को अपनी उपाधि पूरी करने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का एक उचित डाटाबेस बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है।

संबद्ध कॉलेजों के संबंध में, विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए 38 संबद्ध कॉलेजों के स्थानन आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि कई कॉलेजों

[10] दो स्कूलों ने केवल 2021 में काम करना शुरू किया है और अभी तक कोई भी बैच पास आउट नहीं हुआ है।

ने असंगत स्थानन प्रदर्शन किया, जो उनकी स्थानन रणनीतियों या उनके स्नातकों की रोज़गार क्षमता में संभावित चुनौतियों का संकेत देता है। इनमें से पांच कॉलेजों में स्थानन प्रतिशत लगातार कम/शून्य रहा।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने संबद्ध कॉलेजों को उचित स्थानन सहायता अवसंरचना बनाने का निर्देश दिया है (दिसंबर 2024)।

(ii) **डीटीयू** में, 2018-23 के दौरान 53 *प्रतिशत* से 64 *प्रतिशत* छात्रों को विश्वविद्यालय के स्थानन सेल के माध्यम से स्थानन प्राप्त हुए, जब कि अंतिम वर्ष के कुल 37 *प्रतिशत* से 43 *प्रतिशत* छात्रों को न तो विश्वविद्यालय के स्थानन सेल के माध्यम से स्थानन मिला और न ही उन्होंने उच्चतर शिक्षा प्राप्त की। इस प्रकार, रोज़गार या उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रों की प्रगति के संदर्भ में विश्वविद्यालय का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा।

निर्गम सम्मेलन में, कुलसचिव (डीटीयू) ने कहा कि छात्रों की कुल संख्या के आधार पर स्थानन प्रतिशत की गणना करना आदर्श नहीं हो सकता है, क्योंकि कई छात्र कैंपस स्थानन में भाग नहीं लेना चाहते और इसके स्थान पर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए, स्थानन सेल के माध्यम से स्थानन का विकल्प चुनने वाले छात्रों की तुलना में स्थानन प्राप्त छात्रों की संख्या के आधार पर प्रतिशत निर्धारित करना अधिक व्यावहारिक तरीका होगा। तथापि, डीटीयू ने 2018-23 के दौरान विश्वविद्यालय के कैंपस स्थानन अभियान में वास्तविक प्रतिभागियों के आधार पर परिशोधित आंकड़े प्रदान नहीं किए और इसलिए इस पर काम नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, स्थानन प्रतिशत की गणना करते समय उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के आंकड़ों पर पहले ही लेखापरीक्षा द्वारा विचार किया जा चुका था।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू को ऑफ-कैंपस स्थानन आंकड़े बनाए रखने, उद्योग सर्वेक्षण करने, बेहतर स्थानन के लिए उद्योग के साथ सहयोग करने और उद्योग की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम डिज़ाइन करने की आवश्यकता है।

डीपीएसआरयू में, 2018-22 के दौरान स्थानन प्रभाग के माध्यम से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के छात्रों का स्थानन पाठ्यक्रम के सफल समापन पर 78 से

86 *प्रतिशत* के बीच रहा, जब कि स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों के संबंध में स्थानन पाने/उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत 58 से 81 *प्रतिशत* के बीच रहा। वर्ष 2022-23 के लिए उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का आंकड़ा केवल आंशिक रूप से प्रस्तुत किया गया।

ज्ञान प्राप्ति के अतिरिक्त, छात्रों के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य लाभदायक रोज़गार प्राप्त करना या बेहतर करियर के लिए उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना होता है। इन विश्वविद्यालयों के स्थानन सेल से छात्रों को इस उद्देश्य की प्राप्ति में मदद की अपेक्षा की जाती है। तथापि, अपूर्ण आंकड़ों के अलावा, इन विश्वविद्यालयों के स्थानन सेल का प्रदर्शन, जहाँ वे मौजूद हैं, उनकी स्थापना के पीछे के उद्देश्य की प्राप्ति के संबंध में विश्वास उत्पन्न नहीं करता है।